न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 134/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/393

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथूराम पुत्र भूराजी जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.दानाराम पुत्र भूराराम के वारिसान 1/1.सुआ पुत्री दानाराम पत्नि चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा 1/2.गंगा पुत्री दानाराम पत्नि भटाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 1/3.धापु पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जागसा तहसील पचपदरा 1/4.बबरी पत्नि दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 1/5.संतोष पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 2.मांगीलाल पुत्र आदूजी जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 3.पुष्पादेवी बेवा केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 4.लीलादेवी पुत्री केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 5.मंजूकुमारी पुत्री केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 6.सुरेन्द्रकुमार पुत्र केवलचंद,जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 7.कमलेश कुमार पुत्र केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल 8.भावना कुमारी पुत्री केवलचंद

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाति मेघवाल निवासी जसोल

9.राणाराम पुत्र हरजी जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा

10.वसना पुत्र पुनमाजी जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा

11.तगू बेवा पुनमा जाति मेघवाल निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा

12.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता वादी

2.श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/3 से 5

3.प्रतिवादी संख्या 1/2 व 2 से 12 एकतरफा

निर्णय

दिनांक 09.02.2026

1. संक्षिप्त मे वाद–पत्र के सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 78 रकबा 47.16 बीघा व खसरा संख्या 79 रकवा 0.19 बीघा कुल रकबा 48.15 बीघा भूमि अवस्थित थी। खसरा संख्या 78 मे से सड़क मार्ग निकलने के कारण दो टुकड़े होने पर खसरा संख्या 1000/78 रकवा 38.00 बीघा व खसरा संख्या 1007/78 रकबा 8.01 बीघा कायम हुए। जो वक्त सेटलमेट आदू,भूरा व हरजी की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हुए,जिसमे 1/4 हिस्सा आदू,1/2 हिस्सा भूरा व 1/4 हिस्सा हरजी का था तथा हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था। भूरा के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दानाराम थे। आदू के वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 2 से 8 व हरजी के वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 9 से 11 है। भूराराम का देहांत संवत 2019 मे हुआ था,तब वादी मात्र 1 वर्ष का था तथा घर का कर्ता–धर्ता दानाराम था। भूराराम के फोत होने पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी दानाराम द्वारा अपने नाम एकल दर्ज करवा दी गई,जबकि दानाराम के साथ वादी नाबालिग की भी वादग्रस्त भूमि मे नाम दायर करवाया जाना चाहिए था,जो कि वादी को उसके हक हको से महरूम रखा गया। जबकि वादी प्रतिवादी दानाराम का सगा भाई होने के कारण पुश्तैनी भूमि मे भूराराम की सम्पति मे हक हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1(दानाराम) के साथ 1/2 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 8 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 से 12 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे,कि वादी के कब्जा काश्त भूमि मे दंखलदान्जी नही करने हेतु वाद पेश किया गया।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री खुशहालराम पटेल द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/3 से 5 की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश किया गया तथा वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 की ओर से जरिए अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/2,2 व 9 से 12 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 8 द्वारा इकबाली जवाब पेश किए जाने के उपरांत उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व भी एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादयक विरचित किए गए:—

तनकी संख्या 1:—आया वादी खेत खसरा संख्या 79 रकबा 19 बिस्वा,खसरा संख्या 1000/78 रकबा 38 बीघा,खसरा संख्या 1007/78 रकबा 8.01 बीघा मौजा खेड़ का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 2:—आया वादी बंटवाड़ा के जरिए अपना हक हिस्सा अलग पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 3:—आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 4:—अनुतोष

4. वादी की ओर से वाद—पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में PW-01 नाथूराम व PW-02 सुरेशकुमार द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श 1—ग्राम खेड़ की खसरा संख्या 78 व 79 की जमाबंदी संवत 2012 से 2015 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श 2—इसी ग्राम की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 बबरी पत्नि दानाराम द्वारा बयानात कलमबद्व करवाए गए।

5. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस वादी अधिवक्ता नें वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 78 रकबा 47.16 बीघा व खसरा संख्या 79 रकबा 47.16 बीघा भूमि आदू,भूरा व हरजी की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज हुई थी। जिसमे 1/2 हिस्सा भूराराम,1/4 हिस्सा आदू व 1/4 हिस्सा हरजी का था तथा उक्त हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा संख्या 78 मे से सड़क मार्ग निकलने के कारण वर्तमान खसरा संख्या 1000/78 रकबा 38 बीघा व खसरा संख्या 1007/78 रकबा 8.01 बीघा कायम हुए। भूराराम के वारिसान मे वादी व प्रतिवादी दानाराम है। आदू के वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 2 से 8 व हरजी के वारिसान मे प्रतिवादी संख्या 9 से 11 है। भूराराम का देहान्त संवत 2019 मे हुआ था,तब वादी की उम्र मात्र 1 वर्ष थी तथा दानाराम परिवार मे बड़ा होने का गलत फायदा उठाते हुए भूरा की सम्पति मे अपना अकेले का नाम दायर करवा दिया गया,जबकि वादी प्रतिवादी दानाराम का सगा छोटा भाई है,जो वक्त फौतदगी भूरा के नामान्तकरण मे वादी का भी नाम दायर करवाना चाहिए था,लेकिन प्रतिवादी दानाराम द्वारा वादी को उसके हक हकूको से महरूम रखते हुए वादग्रस्त भूमि मे नाम दायर नही करवाया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि मे वादी का अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रेकर्ड मे नाम दायर नही होने के कारण वादी के कब्जाशुदा भूमि मे दंखलदान्जी की जा रही है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि दिनांक 03.06.2003 को प्रतिवादी दानाराम द्वारा वादी के पक्ष मे आपसी इकरारनामा लिखत किया गया,जिसमे वादग्रस्त भूमि मे वादी का हक हिस्सा होना स्वीकार किया है। वादी की ओर से अपने साक्ष्य गवाहान से भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि मे भूराराम के हक हिस्सा मे वादी का हक बनता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को प्रतिवादी दानाराम के साथ 1/2 हिस्सा का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे कि वादी के कब्जा–शुदा भूमि मे किसी प्रकार की दंखलदान्जी नही करे।

6. प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी का वाद–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य हैं,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि को हड़प करने की नियत से वाद पेश किया गया है,जिसमे सफलता मिलने की कोई गुजाईश नही है। वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा भूराराम का अवश्य था,परन्तु बाकी हिस्सा पर अन्य खातेदाराान के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हिस्से की भूमि थी,जिन्होने भूमि को बेचान कर दिया गया है। उन्हे पक्षकारान भी नहीं बनाया गया है। वादी का यह कथन गलत है कि आदू व हरजी का हिस्सा नही हो,बल्कि आदू व हरजी के वारिसान अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी भूराराम के जन्म के बाद पैदा हुआ था,इस कारण भूराराम की सम्पति प्रतिवादी दानाराम मे वेस्ट हो गए। इस कारण वादी का वादग्रस्त भूमि मे कोई हक हिस्सा नही बनता है। इसके अलावा भूराराम की दो लड़किया केसी व काकू भी है,जो वाद पत्र मे आवश्यक पक्षकार होने के उपरांत भी पक्षकार नही बनाए जाने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादी दानाराम की ओर से वादी के पक्ष मे कोई लिखत इकरारनामा नही दिया गया है। वादी की ओर इकरारनामा के आधार पर वाद लाया गया है,जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण वादी का वाद खारिज किए जावे। अतं मे निवेदन किया कि वादी का वाद मनगढन्त एवं काल्पनिक तथ्यो के आधार पर होने के कारण मय खर्चो खारिज किया जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक है,जो निम्नानुसार हैः—

तनकी संख्या 1 से 3 एक दूसरे के परस्पर होने के कारण एक साथ निस्तारण किया जा रहा हैः—

<u>तनकी संख्या 1</u>:—आया वादी खेत खसरा संख्या 79 रकबा 19 बिस्वा,खसरा संख्या 1000/78 रकबा 38 बीघा,खसरा संख्या 1007/78 रकबा 8.01 बीघा मौजा खेड़ का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 2:—आया वादी बंटवाड़ा के जरिए अपना हक हिस्सा अलग पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

तनकी संख्या 3:—आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे—वादी)

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वादी की ओर से बयानात व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। प्रदर्श 1—ग्राम खेड़ तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 78

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

व 79 कुल रकबा 48.15 बीघा जमाबंदी संवत 2012–2015 आदू वल्द भगा,भूरा वल्द प्रभू,हरजी वल्द थाना कौम भांभी सा.जसोल खातेदार के नाम दर्ज है। भूराराम के वारिसान मे वादी व प्रतिवादी दानाराम है,जो उभय पक्षकारान ने स्वीकार भी किया है,इसके अलावा अन्य दो पुत्रिया भी वारिस है,जिन्हे वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है,इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे भूराराम के वारिसान वादी का भी हक हिस्सा वनता है,जिन्होने बयानात व दस्तावेजात से साबित भी किया है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि का वर्तमान रेकर्ड (जमाबंदी) का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 1005/78,1007/78 व 79 राज्य सरकार के अधीन निकाय नगरपालिका बालोतरा हिस्सा–पूर्ण संस्था के लिए खाते मे दर्ज है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान रेकर्ड अनुसार स्थानीय निकाय नगर पालिका बालोतरा के खाते मे दर्ज है,इस कारण प्रकरण न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण न्यायालय हाजा प्रकरण मे वादी को राहत प्रदान करने मे सक्षम नही है। लेकिन वादी सक्षम स्तर पर अपने हक हकूको के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ऐसी सूरत मे कायम तनकीयात वादी साबित नही कर पाया है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का वाद वर्तमान रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय हाजा स्तर से चलने योग्य नही होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वर्तमान रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य के आधार पर वादी का वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण खारिज किया जाता है। लेकिन वादी सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्र रहेगा। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार) 09/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर 09/02/2026
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 134/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/393

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नाथूराम पुत्र भूराजी जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.दानाराम पुत्र भूराराम के वारिसान 1/1.सुआ पुत्री दानाराम पत्नि चन्द्राराम जाति मेघवाल निवासी नेहरू कोलानी बालोतरा 1/2.गंगा पुत्री दानाराम पत्नि भटाराम जाति मेघवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 1/3.धापु पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जागसा तहसील पचपदरा 1/4.बबरी पत्नि दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 1/5.संतोष पुत्री दानाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 2.मांगीलाल पुत्र आदूजी जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 3.पुष्पादेवी बेवा केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 4.लीलादेवी पुत्री केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 5.मंजूकुमारी पुत्री केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 6.सुरेन्द्रकुमार पुत्र केवलचंद,जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 7.कमलेश कुमार पुत्र केवलचंद जाति मेघवाल निवासी जसोल

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

8.भावना कुमारी पुत्री केवलचंद
जाति मेघवाल निवासी जसोल
9.राणाराम पुत्र हरजी जाति मेघवाल
निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा
10.वसना पुत्र पुनमाजी जाति मेघवाल
निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा
11.तगू बेवा पुनमा जाति मेघवाल
निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा
12.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर 134 / 2025
निर्णय दिनांक :—09.02.2026

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/3 से 5 की ओर से श्री खुशहालराम पटेल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 09.02.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:—वाद वादी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वर्तमान रेकर्ड के परिप्रेक्ष्य के आधार पर वादी का वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण खारिज किया जाता है। लेकिन वादी सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने के लिए स्वंतत्र रहेगा।
यह आज तारीख 09.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

09/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस	—	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

09/02/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा